



सक्षिप्त खबरें

वार्ष सदस्यों के प्रथम बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

बंशीधर नगर(प्रभात मंत्र संवाददाता) : प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव 2022 के संबंध होने के पश्चात वार्ड सदस्यों के प्रथम बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण स्तरीय प्रशिक्षण शनिवार को सम्पन्न हो गया। प्रथम बैच में कुछ खुलुक, विलासपुर, हलिवंता कला तथा पिपलडीह पंचायत के वार्ड सदस्य शमिल हुये। प्रशिक्षण में सभी वार्ड सदस्यों के पंचायती प्रशिक्षण के तहत पंचायती ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत विकास योजना में वार्ड सदस्यों की भूमिका से संबंधित जानकारी दिया गया। समिक्षकों के तहत विस्तृत पंचायती राज व्यवस्था का गठन की जानकारी भी दिया गया। सभी वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षक दिलीप तिवारी तथा दुश्मन कुमार ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में लाभान्तरी देवी, रीता देवी, कुमारी गरिमा, देवंती देवी, राकेश कुमार, नीलम देवी, तारा देवी, सुमित्रा देवी, मूलवंती देवी, शीला देवी, राकेश कुमार, नीलम देवी, तारा देवी, रंजू देवी, अनीता देवी, सीमा देवी सहित सभी वार्ड सदस्य उपस्थित हैं।

नो वाहनों पर हुई कार्रवाई

हरिहरगंज (प्रभात मंत्र संवाददाता) : जिला मोटरयान निरीक्षक लालिकार्यालय ने शनिवार को हरिहरगंज थाना के पास बने अंतराजीय चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच की। जांच के तरफ में ट्रक, हाइवा, पिकअप सहित नीचे वाहनों पर ओवरलोडिंग, कागजान में कार्रवाई किया गया है। लाल बिहारी यादव को बताया कि चेकपोस्ट पर दो घंटा से अधिक समय तक आने जाने वाले वाहनों का जांच किया गया। जांच के क्रम में नीचे वाहनों पर कार्रवाई की गई है, उहाँने कहा कि जांच अधिनियम आगे भी जारी होगा। पुरीलाली निरीक्षक सभा हरिहरगंज के थाना प्रभारी सुदामा कुमार दास में बताया कि थाना के पास बने अंतराजीय चेकपोस्ट पर 24 घंटा नियन्त्रण के तहत जिलानी में चार चतुर रुप है, जो एक वाहन की सख्ती में छतरपुर अनुमंडल क्षेत्र से हाईवा, ट्रक में लोड होकर छीं दुर्घेर राज्यों में जाता है जिसको लेकर चेकपोस्ट पर चालान, ओवरलोडिंग एवं अन्य कागजानों की जांच की जाती है।

श्री सर्वेश्वरी समूह का मेना स्वास्थ्य शिविर आज, 25 से ज्यादा डॉक्टर मरीजों का करेंगे इलाज

विश्रामपुर (पलामू) (प्रभात मंत्र संवाददाता) : श्री सर्वेश्वरी समूह द्वारा विश्रामपुर के जनता उच्च विद्यालय परिवार में रविवार को प्रशिक्षण का आयोजित किया गया है। जिसमें 25 से ज्यादा डॉक्टर मरीजों का मुफ्त इलाज करेंगे। समूह के विश्रामपुर शाखा मंडी नांगें प्रसाद पांडे ने बताया कि विश्रामपुर प्रखंड व नार परिवर्त के 40 गांवों से शिविर में मरीज शामिल होंगे। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम चाच हजार लोगों का मुफ्त उपचार हो। उहाँने कहा कि जांच के तरफ में ट्रक में ड्रेसर सिंह, डा. यूपी सिंह, डा. संजय तिवारी, डा. आशीष सिंह, डा. एम एल गुरु, डा. आलोक, डा. एम एन सिंह, डा. रंजन नारायण, डा. सुधीर, डा. रनन, डा. कलाना मिश्रा, डा. हरि शंकर सिंह, डा. विकेंद्र, डा. वैष्णव, डा. लीनन राय, डा. केंद्र सिंह, डा. उमेंद सहित कई चिकित्सक भाग लोगों श्री पांडे ने स्थानीय लोगों से शिविर में आकर स्वास्थ्य जांच और उपचार करने का आग्रह किया है।

माउंटेन व्यू बार सह रेस्टोरेंट सील होने से राज्य सरकार को हो रहा है राज्यका का नुकसान : सुधीर



हरिहरगंज(प्रभात मंत्र संवाददाता) : हरिहरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सुलतानी गांव समीप माउंटेन व्यू बार सह रेस्टोरेंट सील होने से राज्य सरकार को राजस्व की नुकसान हो रही है। उत्तर बातें माउंटेन व्यू बार सह रेस्टोरेंट के संचालक सुधीर कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए शनिवार को कहीं। साथ ही बताया कि पलामू जिला की इन्हीं बड़ी आवाजी में मात्र तीन बीच बार को सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है। माउंटेन व्यू बार सह रेस्टोरेंट का संचालन सरकार के नियमों की स्वीकृत हो रही है। असापस क्षेत्र के लोगों को साथी विवाह बधेंडे सहित अन्य कार्यक्रम इस बीच बार में सुविधा के हिसाब से करते थे। लेकिन शराब माफियाओं की नजर लग गई। शराब माफियाओं ने बीच बार को गलत तरीके से शील करवाने के कामयाब हो गए। उहाँने बताया कि बीच बार में जिन्होंने भी शराब बरामद की रुद्ध है, उन सभी को उपचार विभाग द्वारा नियन्त्रण में रखा गया है। उत्पाद विभाग के अधिकारी जांच कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास की जांच में सच्चाई समझे आया और बीच बार दोबार पुनः जल्द चालू होगा। तिन दिन पहले उत्पाद विभाग में बीच बार को सील कर दिया था।

जारी हो रहा है राज्यका का नुकसान : सुधीर

JNTAIN VIEW RESTAURANT

Welcome

आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आए 1103 आवेदन

प्रभात मंत्र संवाददाता

बंशीधर नगर : प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के तहत पंचायत चुनाव 2022 के संबंध होने के पश्चात वार्ड सदस्यों के प्रथम बैच का तीन दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न होने के बावर वार्ड सदस्यों के प्रथम बैच कुछ खुलुक, विलासपुर, हलिवंता कला तथा पिपलडीह पंचायत के वार्ड सदस्य शमिल हुये। प्रशिक्षण में सभी वार्ड सदस्यों के पंचायती प्रशिक्षण के तहत पंचायती ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा में वार्ड सदस्य की भूमिका सबसे बड़ी होती है। सभी वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत के कार्य में बढ़-चढ़कन भागीदारी होना चाहिये। इसके साथ ही वार्ड सदस्यों को ग्राम पंचायत चुनाव समिति एवं जिला परिषद के गठन एवं सक्रिय कार्य प्रगती, ग्राम सभा, स्थायी समिक्षक आदि की जानकारी विस्तृत रूप से दिया गया। मास्टर ट्रेनर द्वारा द्वारा बताया गया कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई प्रखंड कार्यालय के सभागार में

